दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अंतर-विभागीय समिति है जो दिव्यांगजन अधिकारिता अधिनियम के अंतर्गत नई दिव्यांगताओं को शामिल करने के अनुरोधों पर विचार करती है। इस समिति की दो बैठकें 10.01.2018 और 03.01.2023 को आयोजित की गई। इन बैठकों के कार्यवृत्त दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।